राजकीय पॉलीटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल
(उत्तराखण्ड) 246174

टेलीफैक्स: 01346 -252128 Email principal_gps@rediffmail.com

निविदा संख्या–

निविदा प्रपत्र

इस संस्था के पुरूष छात्रावास (क्षमता–लगभग 150 छात्र) में मेस संचालन हेतु सील्ड बन्द निविदा आमन्त्रित किये जाते हैं।

सामान्य सूचनायें:–

1–निविदा पत्र प्राप्त करने की तिथि	–	दिनांक 05–7–2014 से 15–7–2014 सायं 5 बजे तक
2–निविदा पत्र जमा करने की तिथि	–	दिनांक 05–7–2014 से दिनांक 15–7–2014 सायं 5 बजे तक
3–निविदा पत्र खोलने की तिथि	–	दिनांक 16–7–2014 को प्रातः 11.00 बजे (कम से कम तीन निविदा प्राप्त होने पर)
4–निविदा पत्र का मूल्य–वेट सहित	–	500.00+13.5% Vat = 568/–(रू0 पॉच सौ अड़सठ मात्र)
5–निविदा की वैद्यता	–	एक वर्ष
6–धरोहर राशि	–	रू0 30,000.00 (रू0 तीस हजार मात्र) एफ0डी0आर0 के रूप में ''प्रधानाचार्य,रा0पा0श्रीनगर'' के पदनाम से जमा करें।

नियम एवं शर्तें:–

1– निविदायें पूर्ण रूप से स्पष्ट भरकर सील्ड लिफाफे में प्रधानाचार्य रा0पा0श्रीनगर–गढ़वाल के पदनाम से प्रेषित की जाय तथा लिफाफे के ऊपर '' **सत्र 2014–15 में मेस संचालन हेतु निविदा**'' लिखा होना चाहिये, साथ ही प्रेषक का नाम एवं पता लिखा जाना अनिवार्य है।

2– निविदादाता निविदा पत्र को डाक द्वारा या दस्ती द्वारा संस्था में भेज/जमा कर सकता है। डाक से भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र संस्था में समय से प्राप्त न होने पर संस्था जिम्मेदार नहीं होगी।

3– निविदा खोलते समय निविदादाता या उसका प्रतिनिधि यदि चाहें, संस्था में उपस्थित हो सकता है ।

4– निविदा लिफाफे के अन्दर निविदा प्रपत्र की मूल प्रति एवं धरोहर राशि (एफ0डी0आर0) की मूल प्रति होनी आवश्यक है।

5– निविदादाता द्वारा दी गई दरें एक वर्ष तक मान्य होंगी । इस अवधि के बीच में दरों में बढ़ोतरी किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

6– निविदादाता निविदा के साथ धरोहर राशि रू0 30,000.00 (रू0 तीस हजार मात्र) एफ0डी0आर0 के रूप में प्रधानाचार्य,रा0पा0श्रीनगर के पदनाम से जमा करेंगें तथा जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसे संस्था में जमा रखा जायेगा, बाकी निविदादाताओं को उक्त राशि वापस कर दी जायेगी। यदि स्वीकृत निविदादाता सत्र के मध्य में या निर्धारित तिथि से पूर्व मेस संचालन का कार्य छोड़ता है या संस्था द्वारा कॉन्ट्रेक्ट समय से पहले निरस्त होने की स्थिति में उसके द्वारा जमा धरोहर राशि को संस्था द्वारा जब्त कर लिया जायेगा, और निविदादाता का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7– मेस में उपयोग आने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिये । संस्था कमेटी द्वारा जिसकी समय–समय पर जांच की जा सकती है।

8– निविदा शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादन न किये जाने की दशा /गुणवत्तायुक्त भोजन न उपलब्ध कराने की दशा मे कॉन्ट्रेक्ट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा व ऐसी दशा में भी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

9– कॉन्ट्रेक्ट निरस्त होने की दशा में न्यूनतम दर वाले दूसरे नं0 के निविदादाता को मेस संचालन के लिये समस्त नियम एवं शर्तों के अनुसार आदेश दिया जा सकता है, जिसके द्वारा उपरोक्त धरोहर राशि जमा करनी आवश्यक होगी।

10–प्रधानाचार्य को यह अधिकार होगा कि वह कॉन्ट्रेक्ट कभी भी निरस्त कर सकता है,और इस सम्बन्ध में निविदादाता /ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11–सफल मेस संचालन का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। (प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।

12–निविदादाता की फर्म पंजीकृत होनी चाहिये, जिसका टिन नं0 होना आवश्यक है (प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।

13–निविदादाता का पेन नं0 होना आवश्यक है (प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।

14–छात्रावास में निर्धारित साप्ताहिक ''मेस मीनू'' अनुच्छेदक–01 के अनुसार ही भोजन व्यवस्था की जाय। **(संलग्न अनुच्छेदक–01)**

15–मेस संचालन हेतु जिस निविदादाता/फर्म को आदेशित किया जायेगा, उसे रू0 100/–के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुच्छेदक–02 में लिखित सभी शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करना होगा। **(संलग्न अनुच्छेदक–02)**

16–कोई भी दाल एवं सब्जी की सप्ताह में दो बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं होगी।

17–सम्पूर्ण छात्रावास परिसर (मेस, टायलेट, बाथरूम, गैलरी, कॉमन रूम, ऑगन, मैस के पीछे की खाली जगह, समस्त नालियां इत्यादि) की साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता /ठेकेदार की होगी।

18–भोजन बनाने हेतु समस्त बर्तन, कर्मचारी आदि की व्यवस्था निविदादाता /ठेकेदार की होगी। साथ ही निविदादाता के मेस कर्मचारियों का व्यवहार छात्रों एवं संस्था स्टाफ सदस्यों के साथ अच्छा व विनम्र होना आवश्यक है, तथा संस्था परिसर व छात्रावास परिसर में निविदादाता के मेस कर्मचारियों को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर कॉन्ट्रेक्ट निरस्त करने का पूरा अधिकार संस्था प्रधानाचार्य का होगा। तथा इस सम्बन्ध में निविदादाता /ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

19–जिस भी निविदादाता को मेस कॉन्ट्रेक्ट स्वीकृत किया जायेगा वह अपने समस्त कर्मचारियों, जो छात्रावास में कार्य करेगें, का पुलिस वैरिफिकेशन करवाकर संस्था में जमा करेगें तत्पश्चात ही केवल उन्ही कर्मचारियों को छात्रावास में मेस कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। न जमा करने की स्थिति में कॉन्ट्रेक्ट निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य का होगा।

20–यदि किसी छात्र का स्वास्थ्य आकस्मिक खराब हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा निर्देशित भोजन अस्वस्थ छात्र को प्रदान करना होगा।

21–सभी निविदा प्रपत्र के पृष्ठ तथा संलग्नक स्वहस्ताक्षरित होने आवश्यक है।

22–इससे सम्बन्धित समस्त निर्णय प्रधानाचार्य के पास सुरक्षित है।

प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलीटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल
(उत्तराखण्ड) 246174

टेलीफैक्स: 01346 -252128 Email principal_gps@rediffmail.com

वित्तीय निविदा–पत्र

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक,
श्रीनगर–गढ़वाल।

विषयः– (निविदा का नाम)...हेतु निविदा पत्र,
निविदा खोले जाने की तिथि.., तथा समय...

महोदय,

मै प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा निम्न प्रकार दी गई जानकारियॉ सही हैः–

1– फर्म का नाम :– मेसर्स...

2– व्यक्ति का नाम :– ....

3– पूरा पता :– ....

जिला..पट्टी..राज्य...

मोबाइल नं0...फोन नं0 (एस0टी0डी0कोड सहित)...........................

4– पेन नं0. :– ....(छाया प्रति संलग्न करें)।

5– टिन नं0. :– ....(छाया प्रति संलग्न करें)।

कार्य की प्रकृति

वर्ष 2014–15 में रा0पो0श्रीनगर–गढ़वाल के पु0 छात्रावास (क्षमता–लगभग 150 छात्र) में मेस संचालन के कार्य करने हेतु :–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दर प्रति माह प्रति छात्र (रू0 में)	
		अंको में	शब्दों में
1–	छात्रावास में निर्धारित साप्ताहिक ''मेस मीनू'' अनुच्छेदक–01 के अनुसार भोजन व्यवस्था एवं सम्पूर्ण छात्रावास परिसर (मेस, टायलेट, बाथरूम, गैलरी, कॉमन रूम, ऑगन, मैस के पीछे की खाली जगह, समस्त नालियां इत्यादि) की साफ–सफाई की पूर्ण व्यवस्था हेतु		

1– यदि मुझे/हमें उपरोक्त दरों पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो मै/हम निविदा प्रपत्र में निर्दिष्टानुसार कार्य करने के लिये तैयार हूँ/हैं।
2– मैने/हमने निविदा पत्र मे दर्शाई गई शर्तों एवं नियमों को भली–भांति समझ लिया हैं,तथा इन्हीं नियमों/शर्तों के अर्न्तगत मेस संचालन का कार्य करने के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगें।
3– मैं/हम यह भी द्योषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा पूर्व में आवंटित समस्त कार्यो को सफलता पूर्वक नियत अवधिक तक पूर्ण किया गया।
4– उपरोक्त द्योषणाओं को सही नही पाये जाने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत निविधा प्रपत्र को रद कर दिया जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मदारी मेरी होगी जिसके लिए मेरे द्वारा कोई दावा नहीं किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर..
सील

नोटः– निविदा प्रपत्र में दरों पर या अन्य जगहों पर ओवर राइटिंग या फ्लूड का प्रयोग वर्जित है, यदि किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो स्पष्ट हस्ताक्षर करने जरूरी होंगें।

राजकीय पॉलीटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल
(उत्तराखण्ड) 246174

टेलीफैक्स: 01346 -252128 Email principal_gps@rediffmail.com

अनुच्छेदक–01

साप्ताहिक मेस मीनू

दिन	सुबह 7 बजे से 7.30 बजे तक	सुबह 8 बजे से 9.30 बजे तक	सायं 5 बजे से 6 बजे तक	रात्रि 7.30 बजे से 9.30 बजे तक
सोमवार	चाय 01 कप	दाल अरहर, सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार /चटनी	चाय, बैड पकोडा–01	दाल मसूर (काली), सब्जी, गर्म रोटी,चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी
मंगलवार	चाय 01 कप	दाल काले चने, सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार /चटनी	चाय,बिस्कुट–04 (ब्रिटानिया/ सनफिस्ट)	दाल उडद (साबुत),सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी खीर/सूजी हलवा
बुधवार	चाय 01 कप	कड़ी पकोडा, सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी	चाय, बैड पकोडा–01	दाल (मिक्स),सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी
वृहस्पतिवार	चाय 01 कप	दाल चना दला राजमा मिक्स, सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी	चाय,बिस्कुट–04 (ब्रिटानिया/ सनफिस्ट)	दाल अरहर,सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार /चटनी खीर/सूजी हलवा
शुक्रवार	चाय 01 कप	दाल मिक्स,, सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी	चाय, बैड पकोडा–01	दाल चना दला,सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी
शनिवार	चाय 01 कप	दाल उडद साबुत राजमा मिक्स, सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी	चाय,बिस्कुट–04 (ब्रिटानिया/ सनफिस्ट)	दाल मसूर (काली),सब्जी, गर्म रोटी, चावल बारिक, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी खीर/सूजी हलवा
रविवार	चाय 01 कप	छोले, पुरी/भटूरे, सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी	चाय, बैड पकोडा–01	पनीर की सब्जी,/अण्डाकरी, गर्म रोटी, चावल बारिक, राजमा दाल सलाद (प्याज,खीरा,मूली,टमाटर), अचार/चटनी

नोट–

1– ऊपर दिये गये मीनू के अनुसार ही समय पर खाना एवं नाश्ता दिया जाये एवं सब्जी की सप्ताह में दो बार से अधिक पुनरावृत्ति न की जाये।

2– जो सब्जी मौसम के अनुसार बाजार में उपलब्ध हो को बनाया जाय।

राजकीय पॉलीटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल
(उत्तराखण्ड) 246174

टेलीफैक्स: 01346 -252128 Email principal_gps@rediffmail.com

अनुच्छेदक–02

मेस संचालन हेतु जिस निविदादाता/फर्म को आदेशित किया जायेगा, उसे रू0 100/–के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निम्न नियम एवं शर्तों को नोटेरायज्ड कर अनुबन्ध करना आवश्यक होगा।

नियम एवं शर्तें :–

1– मेरे द्वारा दी गई दरें एक वर्ष तक मान्य होंगी तथा इस अवधि के बीच दरों में बढ़ोतरी किसी भी दशा में नहीं की जायेगी।

2– यदि मेरे द्वारा सत्र के मध्य में या निर्धारित तिथि से पूर्व मेस संचालन का कार्य छोड़ा जाता है या संस्था द्वारा कॉन्ट्रेक्ट समय से पहले निरस्त होने की स्थिति आती है तो जमा धरोहर राशि को संस्था द्वारा जब्त कर लेने में मुझे कोई आपत्ति नही होगी और इसके लिए मै/फर्म/मेरा प्रतिनिधि कोई भी दावा भविष्य में प्रस्तुत नहीं करेगा।

3– मेरे द्वारा मेस में उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता उत्तम रहेगी। जिसके लिए मै खाद्य लाइसेंस की छाया प्रति भी संस्था में जमा करूगा।

4– निविदा शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादन न किये जाने की दशा /गुणवत्तायुक्त भोजन न उपलब्ध कराने की दशा मे कॉन्ट्रेक्ट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा व ऐसी दशा में भी धरोहर राशि जब्त कर लेने में मुझे कोई आपत्ति नही होगी और इसके लिए मै/फर्म/मेरा प्रतिनिधि कोई भी दावा भविष्य में प्रस्तुत नहीं करेगा। ।

5– निविदादाता की फर्म पंजीकृत है तथा फर्म का टिन नं0 .... है। तथा मेस कार्यों हेतु आवश्यक विभागीय पंजीकृण जैसे खाद्य विभाग से प्राप्त लाइसेंस, सर्विस टैक्स इत्यादि इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ। (प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।

6– मेरे पास सफल मेस संचालन का कार्य अनुभव है। (प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न हैं।)।

7– मै पुरूष छात्रावास में साप्ताहिक ''मेस मीनू'' अनुच्छेदक–01 के अनुसार ही भोजन व्यवस्था बनाये रखूगां। या समय समय पर संस्थागत गठित मैस समिति द्वारा साप्ताहिक ''मेस मीनू'' में किये गये परिवर्तन पर ही काम करूगां।

8– मेरे द्वारा किसी भी परिस्थिति में कोई भी दाल एवं सब्जी की सप्ताह में दो बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं होगी।

9– मै/निविदादाता सम्पूर्ण छात्रावास परिसर (मेस, टायलेट, बाथरूम, गैलरी, कॉमन रूम, ऑगन, मैस के पीछे की खाली जगह, समस्त नालियां इत्यादि) की साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/ निविदादाता होगी।

10– भोजन बनाने हेतु समस्त बर्तन, कर्मचारी आदि की व्यवस्था निविदादाता /ठेकेदार/मेरे द्वारा की जायेगी।

11– यदि किसी छात्र का स्वास्थ्य आकस्मिक खराब हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा निर्देशित भोजन अस्वस्थ छात्र को प्रदान करूंगा।

12– मैने अपने समस्त कर्मचारियों का पुलिस वैरिफिकेशन करवालिया है जिसे मै इस कॉन्ट्रेक्ट के साथ जमा कर रहा हूँ।

13–मै/निविदादाता यह विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे समस्त कर्मचारी संस्था एवं छात्रावास परिसर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखेगे, तथा छात्रों एवं संस्था स्टाफ सदस्यों के साथ हमेशा विनम्रता से पेश आयेंगे। मेरे या मेरे कर्मचारियों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने की स्थिति यदि आपके द्वारा मेरा कॉन्ट्रेक्ट निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और इस सम्बन्ध में निविदादाता/ठेकेदार/मेरा कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

14– मै/निविदादाता ने उपरोक्त नियम एवं शर्तों को भली–भांति समझ लिया है जिनका मेरे/ निविदादाता /ठेकेदार द्वारा सत्यनिष्ठा से पालन किया जायेगा अन्यथा प्रधानाचार्य द्वारा मेस कॉन्ट्रेक्ट निरस्त करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और इस सम्बन्ध में निविदादाता /ठेकेदार/मेरा कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।